मध्य प्रदेश शासन
पर्यावरण विभाग
मंत्रालय
//कार्यवाही विवरण//

भोपाल, दिनांक 04/09/2019

क्रमांक एफ 12-83/2018/18-5- माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण की प्रिंसिपल बैंच नई दिल्ली द्वारा प्रकरण क्रमांक ओए नंबर 673/2018 में दिनांक 20.09.2018 को पारित आदेश के अनुपालन में प्रदेश की 22 प्रदूषित नदी क्षेत्रों के पुनरुद्धार हेतु एक्शन प्लान तैयार किये जाकर केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को प्रेषित किये जा चुके हैं। मध्यप्रदेश शासन पर्यावरण विभाग, मंत्रालय का आदेश क्रमांक एफ 12-83/2018/18-5 दिनांक 01 नवम्बर, 2018 के माध्यम से गठित नदी पुनरुद्धार समिति (आरआरसी) की पाँचवी बैठक प्रदूषित नदी प्राथमिकता 1,2,3,4 एवं 5 की योजनाओं की प्रगति की समीक्षा हेतु दिनांक 26/08/2019 को मध्यप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की सभागार में सदस्य सचिव, मध्यप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की उपस्थिति में सम्पन्न हुई । उपस्थिति पत्रक संलग्न है। बैठक में निम्नलिखित अधिकारी उपस्थित हुये :

1. श्री आर. एस. कोरी, सदस्य सचिव, मध्यप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ।
2. श्रीमती सुप्रिया पेंडके, अवर सचिव, मध्यप्रदेश शासन पर्यावरण विभाग।
3. श्री पी. के. जैन, डायरेक्टर, केन्द्रीय भू-जल बोर्ड, भोपाल ।
4. श्री एस. के. जैन, कार्यपालन यंत्री उद्योग नीति एवं निवेश प्रोत्साहन विभाग, भोपाल।
5. श्री देवेन्द्र त्रिपाठी, उपयंत्री, नगरपालिका परिषद, मंडीदीप।
6. श्री संतोष गुप्ता, सिटी इंजीनियर, नगर निगम भोपाल।
7. श्री अशोक सेंगर, मध्यप्रदेश औद्योगिक विकास निगम, भोपाल।
8. श्री आर. के. गप्ता, क्षेत्रीय अधिकारी, मध्यप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, इन्दौर।
9. श्री पी. एस. बुन्देला, क्षेत्रीय अधिकारी, मध्यप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, जबलपुर।
10. श्री एस. एन. द्विवेदी, क्षेत्रीय अधिकारी, मध्यप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, उज्जैन।
11. श्री आलोक जैन, क्षेत्रीय अधिकारी, मध्यप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, देवास।
12. श्री ए. के. बिसेन, कार्यपालन यंत्री, क्षेत्रीय कार्यालय,म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, भोपाल।
13. श्री एन. पी. सिंह, क्षेत्रीय अधिकारी, मध्यप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, ग्वालियर।
14. श्री एस. के. मेहरा, क्षेत्रीय अधिकारी, मध्यप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, शहडोल।
15. डॉ. ए. के. श्रीवास्तव, क्षेत्रीय अधि. क्षेत्रीय कार्यालय,म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, सतना।
16. श्री ए. डी. संत, वरि.वैज्ञा.अधि. क्षेत्रीय कार्यालय,म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, रीवा।
17. श्री एच. के. तिवारी, क्षेत्रीय अधि. क्षेत्रीय कार्यालय,म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, कटनी।
18. श्री संजय राजपूत, रसायनज्ञ, क्षेत्रीय कार्यालय, म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, छिन्दवाड़ा।
19. श्री देवाशिष पॉल, सहायक यंत्री, जल संसाधन विभाग, भोपाल।

बैठक के प्रारम्भ में सदस्य सचिव मध्यप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण के आदेश दिनांक 20/09/2018, 19/12/2018 एवं 08/04/2019 के संबंध में समिति सदस्यों को अवगत कराया गया। समिति सदस्यों को यह भी अवगत कराया गया कि प्रकरण में मुख्य सचिव द्वारा भी प्रकरण क्रमांक 606/2018 में इस कार्ययोजना की समीक्षा की जाती है। बैठक में सभी विभागों के अधिकारियों द्वारा योजनावार कार्ययोजनाओं की प्रगति का विवरण समिति के समक्ष रखा गया। समिति द्वारा कार्ययोजनाओं पर माननीय राष्ट्रीय अधिकरण के आदेश के सापेक्ष चर्चा उपरान्त निम्न निर्णय लिये गये :

1. बैठक में विभिन्न विभागों को अधिकारी योजनाओं के फोल्डर के बिना उपस्थित हुये इस संबंध में निर्णय लिया गया कि केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा अनुमोदित

कार्ययोजनाओं के विभागों को सौंपे गये प्लान के साथ विभागीय अधिकारी (नोडल अधिकारी) की उपस्थिति सुनिश्चित की जाये।

(कार्यवाही – समस्त विभाग)

2. जल संसाधन विभाग, उद्योग विभाग, वन विभाग एवं नगरीय विकास विभाग सभी 22 प्रदूषित नदी क्षेत्रों हेतु नोडल अधिकारी नियुक्त कर सूचना 15 दिनों के भीतर उप सचिव, पर्यावरण विभाग, मध्यप्रदेश शासन को प्रस्तुत करें जिससे कि बोर्ड के क्षेत्रीय अधिकारी, समन्वय स्थापित कर योजनाओं का क्रियान्वयन की प्रगति प्रस्तुत कर सके।

(कार्यवाही – समस्त विभाग)

3. नगरीय निकायों से उत्पन्न होने वाले दूषित जल हेतु सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स का निर्माण निर्धारित समयावधि में सुनिश्चित हो इस हेतु विभाग की वित्तीय एवं तकनीकी स्वीकृति शीघ्र की जावे। योजनाओं में जहाँ सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स की आवश्यकता है वह इस प्रकार हैः 1. इन्दौर 2. उज्जैन 3. नागदा 4. भोपाल 5. मण्डीदीप 6. विदिशा 7. खरगौन 8. बुरहानपुर 9. कटनी 10. रीवा 11. चित्रकूट (सतना) 12. सुजालपुर 13. बड़नगर 14. ब्यावरा 15. चाकघाट (सीधी) 16. धनपुरी (शहडोल)

(कार्यवाही – आयुक्त, नगरीय विकास विभाग)

4. जल संसाधन विभाग सभी 22 प्रदूषित नदी क्षेत्रों के फ्लड प्लेन जोन के डिमार्केशन हेतु नोटिफिकेशन जारी करने हेतु 01 माह के भीतर कार्यवाही करे । साथ ही अधिकरण के आदेशानुसार इन नदियों में निर्धारित स्थानों पर बहाव मापन व जल संरक्षण हेतु जन जागरूकता की कार्यवाही करे।

(कार्यवाही – प्रमुख सचिव/प्रमुख अभियंता, जल संसाधन विभाग)

5. केन्द्रीय भू-जल बोर्ड द्वारा किये जा रहे भू-जल मॉनिटरिंग के लोकेशन्स के नाम एवं गूगल मेप पर अंकित कर मध्यप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को 15 दिन के भीतर अवगत करावें ताकि संबंधित क्षेत्रीय अधिकारी उन स्थलों की भू-जल गुणवत्ता का भी विश्लेषण कर सकें।

(कार्यवाही – संचालक, केन्द्रीय भू-जल बोर्ड, भोपाल)

6. मध्यप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड अधिकरण के आदेशानुसार प्रदूषित नदी क्षेत्रों में फीकल कॉलीफार्म एवं स्ट्रेप्टोकोकाई की मॉनिटरिंग माह सितम्बर 2019 से प्रतिमाह किया जाना सुनिश्चित करे एवं वेबसाईट पर प्रदर्षित किया जावे।
7. मध्यप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड प्रत्येक प्रदूषित नदी क्षेत्र के आसपास कम से कम 4 एवं अधिकतम 10 भू-जल स्त्रोतों को चिन्हित कर प्रतिमाह गुणवत्ता परीक्षण कर प्रतिवेदन प्रस्तुत करें।

(कार्यवाही – सदस्य सचिव, मध्यप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड)

8. समिति की तृतीय बैठक में लिये गये निर्णय अनुसार इन योजनाओं के क्रियान्वयन की मॉनिटरिंग का कार्य पर्यावरण नियोजन एवं समन्वय संगठन (एप्को) के माध्यम से कराये जाने हेतु आगामी बैठक में कार्यपालन संचालक एप्को को भी बैठक में आमंत्रित किया जावे ।

(कार्यवाही – उप सचिव, पर्यावरण विभाग)

9. योजना का बृहद स्वरूप देखते हुये, आगामी बैठक में योजनाओं को लागू करने की प्रगति चार्ट रुप में प्रस्तुत की जाये। योजनावार समीक्षा में निम्न बिन्दु प्रकाश में आये :

खान नदी, इन्दौर :

1. खान नदी पुनरूद्धार हेतु योजना के अन्तर्गत स्वीकृत एसटीपीज निर्धारित समयावधि में पूर्ण किये जाने का लक्ष्य है। योजना के दूसरे चरण में रू. 1299.42 करोड़ का खर्च आपेक्षित है। समिति के संज्ञान में लाया गया कि इस योजना के लागू होने पर ही खान नदी में गुणवत्ता सुधार होगा इस हेतु नगर निगम, इन्दौर द्वारा कार्ययोजना तैयार कर अमृत योजना के अन्तर्गत मध्यप्रदेश शासन नगरीय विकास विभाग को स्वीकृति हेतु भेजी गई है। स्वीकृति अपेक्षित है।

(कार्यवाही – आयुक्त, नगरीय विकास विभाग)

2. नगर निगम, इन्दौर द्वारा वर्तमान में औद्योगिक दूषित जल संयुक्त दूषित जल उपचार संयंत्र तक आंशिक रूप से पाईपलाईन एवं नाले के माध्यम से एकत्रित किया जा रहा है जिसे सितम्बर 2019 तक पाईपलाईन के माध्यम से एकत्रित किया जाना सुनिश्चित किया जावे ।

(कार्यवाही – नगर निगम, इन्दौर)

3. नगर निगम, इन्दौर खान नदी में ई-फ्लो हेतु, नदी के अपस्ट्रीम में स्थित तालाबों का सुदृढ़ीकरण करे।

(कार्यवाही – नगर निगम, इन्दौर)

चम्बल नदी, नागदा :

1. नगरीय विकास विभाग, योजना को समग्र रूप से स्वीकृति प्रदान करे जिससे निर्धारित समयावधि में प्रदूषित नदी क्षेत्र की गुणवत्ता में आपेक्षित उन्नयन हो सके।

(कार्यवाही– आयुक्त, नगरीय विकास विभाग, भोपाल एवं नगरपालिका, खरगौन)

2 प्रतिमाह नागदा स्थित उद्योगों का निरीक्षण कर शून्य निस्त्राव की स्थिति पर सदस्य सचिव को प्रतिवेदन प्रस्तुत करें।

(कार्यवाही – सदस्य सचिव, म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड)

3. नगरपालिका, नागदा के सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट की योजना प्राथमिकता के आधार पर स्वीकृत करवायी जावे ताकि योजना राष्ट्रीय हरित अधिकरण द्वारा निर्धारित समयावधि में पूर्ण हो सके।

(कार्यवाही – आयुक्त, नगरीय विकास विभाग)

क्षिप्रा नदी, उज्जैन :

1. नगर निगम उज्जैन शहर की सीमा में स्थित औद्योगिक निस्त्राव का क्षेत्रीय अधिकारी, मध्यप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, उज्जैन के साथ आंकलन कर जिसमें भैरुगढ, आगर रोड, मक्सी रोड व नागझिरी क्षेत्रों में स्थित उद्योगों से निस्त्रारित दूषित जल के उपचार की योजना आगामी बैठक में प्रस्तुत की जावे जिसमें औद्योगिक निस्त्राव के सीवेज में मिलने के पूर्व प्री-ट्रीटमेंट अथवा सीईटीपी का प्रस्ताव प्रस्तुत किया जावे।

(कार्यवाही–नगर निगम, उज्जैन एवं क्षेत्रीय अधिकारी, म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, उज्जैन)

2. नगर निगम, उज्जैन द्वारा सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट का निर्माण कार्य प्रगति पर है जिसके तहत 50 प्रतिशत कार्य पूर्ण हो चुका है। शेष कार्य दिसम्बर 2020 तक पूर्ण किया जावे।

(कार्यवाही–नगर निगम, उज्जैन)

बेतवा नदी, मण्डीदीप, भोपाल :

1. बेतवा नदी प्रदूषित क्षेत्रान्तर्गत भोपाल नगर निगम के कलियासोत नदी के किनारे प्रस्तावित एसटीपीज एवं विदिशा, नगरपालिका द्वारा प्रस्तावित का निर्माण प्रगति पर है। बेतवा के मण्डीदीप स्थित प्रदूषित स्ट्रैच के अन्तर्गत उत्पन्न दूषित जल के उपचार हेतु नगरपालिका मण्डीदीप द्वारा संशोधित डीपीआर तैयार कर आयुक्त, नगरीय विकास विभाग को प्रस्तुत किये जाने की जानकारी दी गई योजना को शीघ्र नियमानुसार स्वीकृति प्रदान कर अधिकरण द्वारा निर्धारित अवधि में क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जावे ।

(कार्यवाही–नगर पालिका, मण्डीदीप एवं आयुक्त, नगरीय विकास विभाग)

2. कार्ययोजना में मण्डीदीप औद्योगिक क्षेत्र में स्थित जल प्रदूषण कार्य उद्योगों की इन्वेन्ट्री एवं सीईटीपी की संभावित योजना, 01 माह के भीतर प्रस्तुत करें।

(कार्यवाही–एकेव्हीएन एवं क्षेत्रीय अधिकारी, म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, भोपाल)

कलियासोत नदी समरधा एवं सूरजनगर, भोपाल :

1. नगर निगम, भोपाल के कलियासोत जलग्रहण क्षेत्र में स्थित एसटीपीज का निर्माण प्रगति पर है एवं निर्धारित समयावधि में पूर्ण किये जाने की जानकारी दी गई । बंसल अस्पताल के पीछे प्रस्तावित एसटीपी के स्थल को लेकर स्थानीय विरोध संबंधी जानकारी दी गई तथापि स्थल परिवर्तन न कर कार्य निर्धारित अवधि में किया जावेगा, अवगत कराया गया।

(कार्यवाही–आयुक्त नगर निगम, भोपाल)

सोन नदी, शहडोल :

1. **सोन नदी, भदूराघाट अमलाई, जिला–शहडोल** से संबंधित प्रदूषित नदी क्षेत्र में नगरपालिका, धरमपुरी से उत्पन्न घरेलू जल–मल पहुँचने की संभावना बताई गई इस हेतु नगरपालिका, धरमपुरी सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट हेतु कार्ययोजना तैयार प्रस्तुत करे एवं अधिकरण द्वारा निर्धारित समयावधि में योजना का कियान्वयन सुनिश्चित किया जावे ।

(कार्यवाही–नगर पालिका, धरमपुरी एवं आयुक्त, नगरीय विकास विभाग)

2. ओरियंट पेपर मिल में स्थापित सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट की सतत् निगरानी कार्य किया जावे एवं उद्योग से उत्पन्न उपचारित दूषित जल का निस्त्राव नदी में न होने पावे हेतु आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करें।

(कार्यवाही– सदस्य सचिव एवं क्षेत्रीय अधिकारी, म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, शहडोल)

गोहद डेम, ग्वालियर :

1. औद्योगिक क्षेत्र मालनपुर, जिला भिण्ड गोहद डेम के जल ग्रहण क्षेत्र में स्थित है । इस क्षेत्र से उत्पन्न होने वाले रनऑफ व घरेलू जल–मल की मॉनिटरिंग, क्षेत्रीय अधिकारी, मध्यप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, ग्वालियर तथा औद्योगिक केन्द्र विकास निगम, मालनपुर समन्वय कर की जावे एवं आवश्यकता होने पर औद्योगिक क्षेत्र के ड्रेनेज का डायवर्सन कर उपचार व्यवस्था 02 माह के भीतर प्रतिपादित की जावे।

(कार्यवाही– एकेव्हीएन, मालनपुर एवं क्षे.अ., म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, ग्वालियर)

2. प्रदूषित नदी क्षेत्र में केन्द्रीय भू–जल बोर्ड एवं म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, ग्वालियर द्वारा किये गये मॉनिटरिंग परिणामों में सिंकोनाईजेशन नहीं है अतः केन्द्रीय भू–जल बोर्ड सेंपिलिंग बिन्दुओं की जानकारी बोर्ड को प्रस्तुत करेगा तथा क्षेत्रीय अधिकारी, ग्वालियर इन स्थलों की भू–जल गुणवत्ता विश्लेषण कर रिपोर्ट 01 माह के भीतर प्रस्तुत करे।

(कार्यवाही– संचालक, सीजीडब्ल्युबी, भोपाल एवं क्षे.अ., म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, ग्वालियर)

चौपन नदी विजयपुर, गुना :

1. **क्षेत्रीय अधिकारी, मध्यप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड**, गुना द्वारा प्रस्तुत विश्लेषण के अनुसार नदी जल गुणवत्ता नियमित रुप से 'बी' श्रेणी में पाई जा रही है। चौपन नदी प्रदूषित क्षेत्र के अपस्ट्रीम में रूठियाई नगर है जिससे उत्पन्न सीवेज की मॉनिटरिंग कर प्रतिवेदन 01 माह में प्रस्तुत किया जावे एवं आवश्यकता होने पर नगर परिषद को सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट की कार्य योजना तैयार कर नगरीय प्रशासन विभाग को स्वीकृति हेतु भेजने हेतु निर्देशित किया जावे।

(कार्यवाही– नगर परिषद रूठियाई एवं क्षे.अ., म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, गुना)

2. क्षे.अ., म.प्र. **प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड**, गुना मेसर्स एनएफएल उद्योग से निस्त्रारित जल की नियमित निगरानी करें एवं शून्य निस्त्राव की स्थिति बनाये रखने हेतु प्रतिमाह प्रतिवेदन प्रस्तुत करें।

(कार्यवाही– एनएफएल, गुना एवं क्षे.अ., म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, गुना)

पार्वती नदी पीलूखेड़ी, गुना :

1. क्षेत्रीय अधिकारी, मध्यप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, गुना पीलूखेड़ी क्षेत्र में स्थापित उद्योगों का सर्वेक्षण कर योजना अनुसार प्रतिवेदन दिनांक 15 अक्टूबर, 2019 के पूर्व प्रस्तुत करें एवं औद्योगिक क्षेत्र पर सतत निगरानी रखें ताकि किसी भी प्रकार का दूषित जल पार्वती नदी में प्रवाहित न हो। प्रतिवेदन प्रतिमाह प्रस्तुत किया जावे।
(कार्यवाही- एकेव्हीएन, गुना एवं क्षे.अ., म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, गुना)

2. औद्योगिक क्षेत्र पीलूखेड़ी, जिला राजगढ़ पार्वती नदी के जल ग्रहण क्षेत्र में स्थित है । इस क्षेत्र से उत्पन्न होने वाले रनऑफ व घरेलू जल-मल की मॉनिटरिंग, क्षेत्रीय अधिकारी, मध्यप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, गुना तथा औद्योगिक केन्द्र विकास निगम, पीलूखेड़ी समन्वय कर की जावे एवं आवश्यकता होने पर औद्योगिक क्षेत्र के ड्रेनेज का डायवर्सन कर उपचार व्यवस्था 02 माह के भीतर प्रतिपादित की जावे।
(कार्यवाही- एकेव्हीएन, गुना एवं क्षे.अ., म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, गुना)

कन्हान नदी बोरगाँव, छिन्दवाड़ा :

1. क्षेत्रीय अधिकारी, मध्यप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, छिन्दवाड़ा बोरगाँव औद्योगिक क्षेत्र में स्थापित उद्योगों का सर्वेक्षण कर योजना अनुसार प्रतिवेदन दिनांक 15 अक्टूबर, 2019 के पूर्व प्रस्तुत करें एवं औद्योगिक क्षेत्र पर सतत निगरानी रखें ताकि किसी भी प्रकार का दूषित जल कन्हान नदी में प्रवाहित न हो। प्रतिवेदन प्रतिमाह प्रस्तुत किया जावे।
(कार्यवाही- एकेव्हीएन, बोरगाँव एवं क्षे.अ., म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, छिन्दवाड़ा)

2. औद्योगिक क्षेत्र बोरगाँव, जिला छिन्दवाड़ा कन्हान नदी के जल ग्रहण क्षेत्र में स्थित है । इस क्षेत्र से उत्पन्न होने वाले रनऑफ व घरेलू जल-मल की मॉनिटरिंग, क्षेत्रीय अधिकारी, मध्यप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, छिन्दवाड़ा तथा औद्योगिक केन्द्र विकास निगम, बोरगाँव समन्वय कर की जावे एवं आवश्यकता होने पर औद्योगिक क्षेत्र के ड्रेनेज का डायवर्सन कर उपचार व्यवस्था 02 माह के भीतर प्रतिपादित की जावे।
(कार्यवाही- एकेव्हीएन, बोरगाँव एवं क्षे.अ., म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, छिन्दवाड़ा)

बिछिया नदी, रीवा :

1. नगर निगम, रीवा द्वारा निर्माणाधीन एसटीपी की जानकारी, क्षेत्रीय अधिकारी, मध्यप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, रीवा द्वारा प्रस्तुत नहीं की गई तथा नगर निगम रीवा एवं क्षेत्रीय अधिकारी प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, रीवा में समन्वय न होना पाया गया । बिछिया नदी प्रदूषित क्षेत्र से संबंधित योजना निर्धारित समयावधि में लागू की जाना सुनिश्चित की जावे।
(कार्यवाही- आयुक्त, नगर निगम, रीवा एवं क्षे.अ., म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, रीवा)
2. प्रदूषित नदी क्षेत्र में भू-जल का सर्वेक्षण कर रिपोर्ट 07 दिवस के अन्दर प्रस्तुत करें।

टोन्स नदी, चाकघाट, रीवा :

1. क्षेत्रीय अधिकारी, मध्यप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, रीवा द्वारा प्रस्तुत विश्लेषण के अनुसार नदी जल गुणवत्ता नियमित रूप से 'बी' श्रेणी में पाई जा रही है। टोन्स नदी प्रदूषित क्षेत्र के अपस्ट्रीम में चाकघाट नगर पंचायत स्थित है जिससे उत्पन्न सीवेज की मॉनिटरिंग कर प्रतिवेदन 01 माह में प्रस्तुत किया जावे एवं आवश्यकता होने पर नगर पंचायत को सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट की कार्य योजना तैयार कर संबंधित विभाग को स्वीकृति हेतु भेजने हेतु निर्देशित किया जावे।
(कार्यवाही- नगर पंचायत, चाकघाट एवं क्षे.अ., म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, रीवा)

मंदाकिनी नदी, चित्रकूट, सतना :

1. क्षेत्रीय अधिकारी, मध्यप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, सतना द्वारा चित्रकूट में निर्माणाधीन एसटीपीज की प्रगति प्रस्तुत की गई । घरेलू दूषित जल उपचार हेतु 4.7 एमएलडी क्षमता का सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट की स्वीकृति प्राप्त है जिसे मई 2020 तक पूर्ण किया जाना है । योजना अधिकरण द्वारा निर्धारित समय सीमा में सम्पन्न हो, सुनिश्चित किया जाये। प्रगति का प्रतिवेदन प्रतिमाह प्रस्तुत किया जाये।
(कार्यवाही- नगरपालिका, चित्रकूट एवं क्षे.अ., म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, सतना)

नेवज नदी, सुजालपुर, देवास :

1. क्षेत्रीय अधिकारी, मध्यप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, देवास द्वारा प्रस्तुत विश्लेषण के अनुसार नदी जल गुणवत्ता नियमित रूप से 'बी' श्रेणी में पाई जा रही है। नेवज नदी प्रदूषित क्षेत्र के अपस्ट्रीम में सुजालपुर नगरपालिका स्थित है जिससे उत्पन्न सीवेज की मॉनिटरिंग कर प्रतिवेदन 01 माह में प्रस्तुत किया जावे एवं आवश्यकता होने पर नगरपालिका को सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट की कार्य योजना तैयार कर नगरीय विकास विभाग को स्वीकृति हेतु भेजने हेतु निर्देशित किया जावे।
(कार्यवाही- नगरपालिका, सुलाजपुर एवं क्षे.अ., म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, देवास)

कटनी एवं सिमरार नदी, कटनी :

1. क्षेत्रीय अधिकारी, मध्यप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, कटनी द्वारा अवगत कराया कि नगर निगम, कटनी द्वारा 24.5 एमएलडी के 03 एसटीपी का निर्माण कार्य प्रगति पर है जिसके अनुसार लगभग 25 प्रतिशत कार्य पूर्ण हो चुका है। नगरपालिका, कटनी द्वारा एसटीपी निर्माण हेतु बोर्ड से सम्मति प्राप्त नहीं की गई है नगर निगम, कटनी एसटीपीज के निर्माण में संलग्न संस्था को बोर्ड से विधिवत् सम्मति प्राप्त करने हेतु निर्देशित करें। योजना का क्रियान्वयन अधिकरण द्वारा निर्धारित समय-सीमा में सुनिश्चित किया जावे।
(कार्यवाही- आयुक्त, नगर निगम, कटनी एवं क्षे.अ., म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, कटनी)

कुन्दा नदी, खरगौन :

1. क्षेत्रीय अधिकारी, मध्यप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, इन्दौर एसटीपी का निर्माण कार्य एवं पूर्ण एसटीपी नेटवर्क के हेतु प्रगति पर है। लगभग 75 प्रतिशत कार्य पूर्ण किया जा चुका है। प्रगति के अनुसार योजना को आंशिक स्वीकृति प्राप्त है जिससे योजना के पूर्ण रूप से लागू न होने की दशा में कुन्दा नदी की गुणवत्ता में सुधार संभव नहीं है। नगरीय विकास विभाग, योजना को समग्र रूप से स्वीकृति प्रदान करे जिससे निर्धारित समयावधि में प्रदूषित नदी क्षेत्र की गुणवत्ता में आपेक्षित उन्नयन हो सके।
(कार्यवाही- आयुक्त, नगरीय विकास विभाग, भोपाल एवं नगरपालिका, खरगौन)

ताप्ती नदी, बुरहानपुर इन्दौर :

1. क्षेत्रीय अधिकारी, मध्यप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, इन्दौर द्वारा ताप्ति नदी प्रदूषित क्षेत्र से संबंधित नेपानगर एवं बुरहानपुर की योजनाओं की प्रगति प्रस्तुत की गई । नगर निगम बुरहानपुर एवं नगरपालिका, नेपानगर से प्राप्त जानकारी अनुसार घरेलू दूषित जल नेटवर्क व एसटीपी प्रस्ताव नगरीय प्रशासन विभाग की स्वीकृति लंबित हैं। नगरीय विकास विभाग, योजना को समग्र रूप से स्वीकृति प्रदान करे जिससे निर्धारित समयावधि में प्रदूषित नदी क्षेत्र की गुणवत्ता में आपेक्षित उन्नयन हो सके।
(कार्यवाही- आयुक्त, यूएडीडी, एवं नगरनिगम, बुरहानपुर नगरपालिका, नेपानगर)

चामला नदी, बड़नगर उज्जैन :

1. **क्षेत्रीय अधिकारी, मध्यप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, उज्जैन** द्वारा प्रस्तुत विश्लेषण के अनुसार नदी जल गुणवत्ता नियमित रूप से 'बी' श्रेणी में पाई जा रही है। चामला नदी प्रदूषित क्षेत्र के अपस्ट्रीम में बड़नगर है जिससे उत्पन्न सीवेज की मॉनिटरिंग कर प्रतिवेदन 01 माह में प्रस्तुत किया जावे एवं आवश्यकता होने पर नगरपालिका, बड़नगर को सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट की कार्य योजना तैयार कर नगरीय प्रशासन विभाग को स्वीकृति हेतु भेजने हेतु निर्देशित किया जावे।

(कार्यवाही- नगरपालिका, बड़नगर एवं क्षे.अ., म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, उज्जैन)

मलेनी नदी, जावरा उज्जैन :

1. **क्षेत्रीय अधिकारी, मध्यप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, उज्जैन** द्वारा प्रस्तुत विश्लेषण के अनुसार नदी जल गुणवत्ता नियमित रूप से 'बी' श्रेणी में पाई जा रही है। मलेनी नदी प्रदूषित क्षेत्र के अपस्ट्रीम में जावरा है जिससे उत्पन्न सीवेज की मॉनिटरिंग कर प्रतिवेदन 01 माह में प्रस्तुत किया जावे एवं आवश्यकता होने पर नगरपालिका, जावरा को सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट की कार्य योजना तैयार कर नगरीय प्रशासन विभाग को स्वीकृति हेतु भेजने हेतु निर्देशित किया जावे।

(कार्यवाही- नगरपालिका, जावरा एवं क्षे.अ., म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, उज्जैन)

बेनगंगा नदी, छपारा, सिवनी :

1. **क्षेत्रीय अधिकारी, मध्यप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, जबलपुर** द्वारा प्रस्तुत विश्लेषण के अनुसार नदी जल गुणवत्ता नियमित रूप से 'बी' श्रेणी में पाई जा रही है। बेनगंगा नदी प्रदूषित क्षेत्र के अपस्ट्रीम में छपारा है जिससे उत्पन्न सीवेज की मॉनिटरिंग कर प्रतिवेदन 01 माह में प्रस्तुत किया जावे एवं आवश्यकता होने पर नगरपालिका, छपारा को सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट की कार्य योजना तैयार कर नगरीय प्रशासन विभाग का स्वीकृति हेतु भेजने हेतु निर्देशित किया जावे।

(कार्यवाही- नगरपालिका, छपारा एवं क्षे.अ., म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, जबलपुर)

इसके साथ ही बैठक धन्यवाद के साथ सम्पन्न हुई।

संलग्न :- उपरोक्तानुसार ।

(सुप्रिया पेंडके)
अवर सचिव
मध्यप्रदेश शासन
पर्यावरण विभाग

प्रतिलिपि :-

पृ.क्रं. एफ 12-83/2018/18-5 **भोपाल,दिनांक** 04/09/2019

1. प्रमुख सचिव, नगरीय विकास विभाग, मंत्रालय वल्लभभवन भोपाल।
2. प्रमुख सचिव, उद्योग नीति एवं निवेश प्रोत्साहन विभाग, मंत्रालय वल्लभभवन भोपाल
3. प्रमुख सचिव, वन विभाग मंत्रालय वल्लभभवन भोपाल
4. प्रमुख सचिव, जल संसाधन विभाग, मंत्रालय वल्लभभवन भोपाल।
5. आयुक्त, नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग, भोपाल ।
6. सदस्य सचिव, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, दिल्ली की ओर सूचनार्थ।
7. संचालक, केन्द्रीय भू-जल बोर्ड, भोपाल, पर्यावास भवन, अरेरा हिल्स, भोपाल।
8. सदस्य सचिव, म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, भोपाल।
9. आरडी, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, सहकार भवन, नार्थ टी.टी. नगर, भोपाल।
10. कलेक्टर, जिला इन्दौर, भोपाल, रायसेन, उज्जैन, विदिशा, शहडोल, कटनी, रीवा, सीधी, सतना, सिवनी, बुरहानपुर, खण्डवा, खरगौन, रतलाम, भिण्ड, गुना, राजगढ़, की ओर माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली के आदेश दिनांक 20.09.2018, 19.12.2018 एवं 08.04.2019 के परिप्रेक्ष्य में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
11. आयुक्त, नगर निगम, भोपाल/उज्जैन/रीवा/कटनी/इन्दौर/बुरहानपुर की ओर सूचनार्थ एवं पालनार्थ ।

12. प्रमुख अभियंता, जल संसाधन विभाग, नर्मदा भवन, भोपाल की ओर सूचनार्थ एवं पालनार्थ।
13. प्रबंध संचालक, एमपीआईडीसी, एम.पी. नगर, भोपाल की ओर सूचनार्थ एवं पालनार्थ।
14. प्रभारी अधिकारी, श्री एच.एस. मालवीय, अधीक्षण यंत्री, म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, भोपाल की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
15. क्षेत्रीय अधिकारी, क्षेत्रीय कार्यालय, म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, भोपाल, इंदौर, उज्जैन की ओर सूचनार्थ एवं पालनार्थ ।
16. नगरपालिका अधिकारी, नगरपालिका, मण्डीदीप (रायसेन)/विदिशा/नागदा (उज्जैन)/सतना/बड़नगर(उज्जैन)/धरमपुरी(शहडोल)/गोहद(भिण्ड)/पीलूखेड़ी(राजगढ़)/रुठियाई(गुना)/चाकघाट (सीधी)/खरगौन/बोरगाँव (छिन्दवाड़ा)/जावरा (रतलाम)/चित्रकूट (सतना)/छपारा (सिवनी) की ओर सूचनार्थ एवं पालनार्थ ।
17. विधि अधिकारी, म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, भोपाल की ओर सूचनार्थ।

अवर सचिव
मध्यप्रदेश शासन
पर्यावरण विभाग

बैठक दिनांक 26/08/2019

विषय :- माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण मुख्य बैंच, नई दिल्ली द्वारा प्रकरण कमांक 673/2018 में पारित आदेश के संबंध में दिनांक 26/08/2019 को आयोजित आर.आर.सी. की 5वीं बैठक का उपस्थिति पत्रक ।

क0	विभाग का नाम	अधिकारी का नाम एवं पदनाम	ई-मेल/ मोबाइल नम्बर	हस्ताक्षर
1	पर्यावरण विभाग	~~सुप्रिया पेंडके~~ अवर सचिव	supriya.pendke@mptown plan.gov.in 9826836531	Supriya 26/8/19
2	क्षेत्रीय कार्यालय म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड सतना	डॉ. ए.के. श्रीवास्तव क्षेत्रीय अधिकारी	romppcb_Satna 9425173153-7000588256	26/8/19
3	क्षेत्रीय कार्यालय म0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड रीवा	ए.डी. संत प्रयो. प्रभारी	lab incharge94 mppcb rewa@gmail.com 7000845623	26/8/19
4	MPPCB	Dr P.S. Bundela RO JBP	9407001711 romppcbjbp@[illegible]	
5	MPPCB	A.K. Bisen	9827279273 romppcb_Bhopal@gmail.com	
6	RO, MPPCB, Indore	A.K. Gupta, RO	9425096862 romppcbindore@rediffmail.com	
7	RO MPPCB Gwl	N.P. Singh	9425233526	
8	R.O. Shahdol (Sanjeev Kumar Mehra)	S.K. Mehra	9893074407	
9	क्षेत्रीय कार्यालय म0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड सतना (म0प्र0)	डॉ0 राहुल द्विवेदी ~~वैज्ञानिक~~ वैज्ञानिक	7000693869	Rahul
10	MPLDC, Bhopal	अशोक सेंगर	9425007879	

बैठक दिनांक 26/08/2019

विषय :- माननीय राष्ट्रीय हरित• अधिकरण मुख्य बैंच, नई दिल्ली द्वारा प्रकरण कमांक 673/2018 में पारित आदेश के संबंध में दिनांक 26/08/2019 को आयोजित आर.आर.सी. की 5वीं बैठक का उपस्थिति पत्रक ।

क0	विभाग का नाम	अधिकारी का नाम एवं पदनाम	ई–मेल/ मोबाइल नम्बर	हस्ताक्षर
11	Water Resources deptt of M.P	Devashish Pal AE	9425415755 pal.devashish@gmail.com	[signature]
12	केन्द्रीय भूमि जल बोर्ड	पी.के. जैन क्षेत्रीय निदेशक प्रभारी	9425600912 rdncr-cgwb@nic.in	[signature]
13	केन्द्रीय भूमि जल बोर्ड	डा. सै राज 2919	9424419185 rdncr-cgwb@nic.in	[signature]
14	जल संसाधन	श्री पी.के. राजपूत अ. अधि. अभि.	vijsraj20@gmail.com 9039277974	[signature]
15	एम पी आय डी सी, भोपाल (उद्योग नीति एवं निवेश प्रोत्साहन विभाग)	एस. के. जैन कार्यपालन यंत्री	98260-50599 (enggcellmpsidc@gmail.com	[signature]
16	R.O. M.P.P.C.B Katni	H.K. Tiwari (R.O)	9425005578	[signature]
17	R. Alok Jain R.O. MPPCB	Alok Jain RO	9425134338	[signature]
18	Sanjay Rajpoot R.O. MPPCB, Chhind-wara	Sanjay Rajpoot chemist	9584152260	[signature]
19	Santosh Gupta City Engineer Nagar Nigam Bhopal	–	9424499827	[signature]
20	Neeraj Kumar Verma SRO. MPPCB mandleshwar mp. Pollution Control Board	Neeraj K. Verma MPPCB. SRO.	neeraj_v22@rediffmail.com 9827236098	[signature]

बैठक दिनांक 26/08/2019

विषय :- माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण मुख्य बैंच, नई दिल्ली द्वारा प्रकरण कमांक 673/2018 में पारित आदेश के संबंध में दिनांक 26/08/2019 को आयोजित आर.आर.सी. की 5वीं बैठक का उपस्थिति पत्रक ।

क0	विभाग का नाम	अधिकारी का नाम एवं पदनाम	ई-मेल/ मोबाइल नम्बर	हस्ताक्षर
21	MPPCB Jabalpur	R.R. Bhanwa Scientist	9425435601 rrbhanwar@gmail.com	[signature]
22	MPPCB Ujjain	S. N. Dwivedi RO	9827210458	[signature]
23	Nagar Palika Parishad Mandideep	Devendra Tripathi Sub Engg	9977135878	[signature]
24	M.P.P.C.B. H.O. Bhopal	R.S. Kori Member Secretary	9669508846	
25	M.P.P.C.B. H.O. Bhopal	H.S. Malviya S.E.	9425017278	[signature]
26	M.P.P.C.B. H.O. Bhopal	G. Ambulkar C.C.	9827249088	[signature]
27	MPPCB	H.S. Malviya SE	9425017278	[signature]
28				
29				
10				